# राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बॉण्ड का निर्गम और प्रबंधन) विनियमावली, 1987

**अधिसूचना सं. राबैं. (एनडी)/ जी-1845/ एलएस.073/ 87-88 दिनांक 08 मार्च 1988 -** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का निदेशक बोर्ड भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, नामतः :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रयोजनीयता:**

1) यह विनियमावली राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बॉण्ड का निर्गम और प्रबंधन) विनियमावली, 1987 कही जाएगी.
2) यह निम्नलिखित पर प्रयोजनीय होगी:
   क) कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम (अब परिसमाप्त) द्वारा निर्गत और बेचे गए तथा इस विनियमावली के प्रवर्तित होने की तारीख को बकाया बॉण्ड;
   ख) राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत और बेचे गए शृंखला 1 से 5 तक के बॉण्ड और ऐसी अन्य शृंखलाएँ जो राष्ट्रीय बैंक द्वारा इस विनियमावली के प्रवर्तित होने की तारीख को बकाया थीं;
   ग) इस विनियमावली के प्रवर्तित होने की तारीख से राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत और बेचे गए बॉण्ड.

**2. परिभाषाएँ:**

इस विनियमावली में जब तक विषय अथवा संदर्भ से प्रतिकूल न हो:

क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम सं. 61) अभिप्रेत है.

कक) "रिज़र्व बैंक" से भारतीय रिज़र्व बैंक अभिप्रेत है.

ख) "बॉण्ड" से कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 (अब निरस्त) की धारा 20 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा निर्गत और बेचे गए तथा इस विनियमावली के प्रवर्तित होने की तारीख को बकाया और इस विनियमावली के प्रवर्तित होने की तारीख के पहले या बाद अधिनियम की धारा 19 के खंड (क) के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत और जारी बॉण्ड अभिप्रेत हैं.

ग) "राष्ट्रीय बैंक" से अधिनियम के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अभिप्रेत है.

घ) "विरूपित बॉण्ड" से ऐसा बॉण्ड अभिप्रेत है जिसे अपठनीय बना दिया गया हो और उसके महत्वपूर्ण हिस्से पढ़ने योग्य नहीं रह गए हों और महत्वपूर्ण हिस्सों में निम्नलिखित हिस्से आते हैं:

i) संख्या, संबंधित निर्गम और जहाँ बॉण्ड का अंकित मूल्य, ब्याज का भुगतान अभिलिखित किया गया हो, या

ii) जहाँ पृष्ठांकन या आदाता का नाम लिखा गया हो, या

iii) जहाँ नवीकरण रसीद या हस्तांतरण ज्ञापन लगाया हो.

ङ) "फॉर्म" से इस विनियमावली की अनुसूची में निर्धारित फॉर्म अभिप्रेत है.

च) "गुमशुदा बॉण्ड" से ऐसा बॉण्ड अभिप्रेत है जो वास्तव में खो गया है और इससे ऐसा बॉण्ड अभिप्रेत नहीं होगा जो दावाकर्ता के प्रति प्रतिकूलता के साथ किसी व्यक्ति के कब्जे में है.

छ) "विकृत बॉण्ड" से ऐसा बॉण्ड अभिप्रेत है जो नष्ट हो गया है, कट-फट गया है या जिसके महत्वपूर्ण हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

ज) "निर्गम कार्यालय" राष्ट्रीय बैंक का अथवा रिज़र्व बैंक का वह कार्यालय अभिप्रेत है जिसकी बहियों में बॉण्ड पंजीकृत है अथवा पंजीकृत हो सकता है.

झ) "विहित adhikari" से राष्ट्रीय बैंक के अथवा रिज़र्व बैंक के ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रीय बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा विनियम 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 के प्रयोजन से प्राधिकृत किया गया हो.

ञ) "स्टॉक प्रमाणपत्र" से विनियम 3 के अंतर्गत निर्गत स्टॉक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है.

3. **बॉण्ड का फॉर्म और उसके हस्तांतरण का तरीका आदि:**

1) राष्ट्रीय बैंक द्वारा निम्नलिखित रूप में बॉण्ड का निर्गम किया जा सकता है:-

क) किसी व्यक्ति को देय अथवा उसके आदेश पर देय प्रॉमिसरी नोट; या

ख) राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक की बहियों में पंजीकृत स्टॉक जिनके लिए स्टॉक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं या राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक द्वारा मेंटेन किए जाने वाले एसजीएल खाते में निदेशक बोर्ड के अनुमोदन के अधीन धारक के क्रेडिट में धारित स्टॉक.

2) (i) प्रॉमिसरी नोट के रूप में निर्गत बॉण्ड पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा उसी प्रकार हस्तांतरणीय होगा जिस प्रकार आदेश पर देय प्रॉमिसरी नोट होता है.

(ii) प्रॉमिसरी नोट के रूप में निर्गत बॉण्ड पर कोई भी लेखन परक्रामण के प्रयोजन से वैध नहीं होगा यदि ऐसा लेखन बॉण्ड द्वारा धारित मूल्यवर्ग की राशि के केवल एक भाग को हस्तांतरित करने से संबंधित हो.

3) स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गत और राष्ट्रीय बैंक अथवा रिज़र्व बैंक की बहियों में पंजीकृत बॉण्ड फॉर्म V में हस्तांतरण लिखत के निष्पादन से पूर्णतः या अंशतः हस्तांतरणीय होंगे. ऐसे मामले में जब तक हस्तांतरिती का नाम राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक द्वारा, यथास्थिति, पंजीकृत नहीं किया जाता तब तक हस्तांतरिती को हस्तांतरण से संबंधित स्टॉक के रूप में निर्गत बॉण्ड का धारक मान्य किया जाएगा.

4) (i) बॉण्ड का निर्गम राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से किया जाएगा और ये हस्ताक्षर मुद्रित, उत्कीर्ण या लिथोग्राफ किए गए या राष्ट्रीय बैंक के निर्देशानुसार किसी अन्य यांत्रिक प्रक्रिया से छापे गए हो सकते हैं.

(ii) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, लिथोग्राफ किए गए और अन्यथा छापे गए हस्ताक्षर उसी प्रकार वैध होंगे मानों वे हस्ताक्षर स्वयं हस्ताक्षरकर्ता के उचित हस्तलेख में लिपिबद्ध किए गए हों.

5) प्रॉमिसरी नोट के रूप में निर्गत बॉण्ड का कोई पृष्ठांकन या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गत बॉण्ड के मामले में हस्तांतरण का कोई लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक धारक अथवा उसके विधिवत् मान्य किए गए मुख्तार या अंकित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रॉमिसरी नोट के रूप में निर्गत बॉण्ड के मामले में बॉण्ड के पृष्ठ भाग पर और स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गत बॉण्ड के मामले में हस्तांतरण लिखत पर न किए गए हों.

**4. न्यास का मान्य न होना:**

1) राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक को धारक के बॉण्ड में पूर्ण अधिकार को छोड़कर किसी भी अन्य तरीके से, इस बात की संसूचना दिए जाने के बावजूद, बॉण्ड के मामले में किसी न्यास अथवा किसी अधिकार को मान्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा.

2) उप-विनियम (i) के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक अनुग्रह के कृत्य के रूप में और राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक पर किसी बाध्यकारी दायित्व के बिना अपनी बहियों में स्टॉक के रूप में निर्गत बॉण्ड के धारक के निर्देश को उस पर ब्याज के भुगतान, अथवा परिपक्वता मूल्य के भुगतान अथवा उसके हस्तांतरण अथवा स्टॉक से संबंधित ऐसे मामलों को अभिलिखित कर सकता है जैसा राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक उचित समझे.

**5. स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गत बॉण्ड को न्यासियों तथा पदधारकों द्वारा धारित करने के लिए उपबंध:**

1) स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गत बॉण्ड को किसी पदधारक द्वारा निम्नलिखित रूप में धारित किया जा सकता है:

क) राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक की बहियों में वर्णित और स्टॉक प्रमाणपत्र में न्यासी के रूप में अपने व्यक्तिगत नाम में उसके आवेदन पत्र में निर्दिष्ट न्यास के एक न्यासी के रूप में अथवा इस प्रकार की अर्हता के बिना न्यासी के रूप में, या

ख) उसके पद के नाम से.

2) राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित फॉर्म में राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक को लिखित आवेदन प्रस्तुत करने के बाद जिस व्यक्ति के नाम से बॉण्ड है उसके द्वारा बॉण्ड को वापस सौंप देने के बाद राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक

क) उसे निर्दिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में या बिना विनिर्देश के किसी न्यास के न्यासी के रूप में वर्णित करते हुए अपनी बही में प्रविष्टि करेगा और यथास्थिति विनिर्देश के साथ या उसके बिना न्यासी के रूप में वर्णित उसके नाम में स्टॉक प्रमाणपत्र निर्गत करेगा, या

ख) आवेदक के अनुरोध के अनुसार उसके पद के नाम से उसे स्टॉक प्रमाणपत्र निर्गत करेगा और अपनी बही में उसे उसके पद के नाम से स्टॉक के धारक के रूप में वर्णित करते हुए प्रविष्टि करेगा, बशर्ते –

i) उसका अनुरोध इस विनियमावली के उप-विनियम (1) के उपबंधों के अनुरूप हो,

ii) उप-विनियम (7) के अनुसार राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो. और

iii) यदि बॉण्ड प्रॉमिसरी नोट के रूप में हो तो उसे राष्ट्रीय बैंक के पक्ष में पृष्ठांकित किया गया हो और यदि बॉण्ड स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में हो तो पंजीकृत धारक द्वारा फॉर्म X में उसकी पावती दी गई हो.

3) उप-विनियम (1) के अंतर्गत स्टॉक प्रमाणपत्र को पदधारक द्वारा अकेले अथवा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा पदधारक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित किया जाएगा.

4) यदि स्टॉक किसी व्यक्ति द्वारा उसके पद के नाम में धारित है तो संबन्धित स्टॉक प्रमाणपत्र से जुड़ा कोई प्रलेख स्टॉक प्रमाणपत्र जिस नाम के पद के नाम में है उस पद को तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा मानो उसके व्यक्तिगत नाम का ही इस प्रकार विवरणित किया गया हो.

5) जब राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक की बहियों में न्यासी या पदधारक के रूप में वर्णित स्टॉक प्रमाणपत्र धारक द्वारा निष्पादित किए गए के रूप में तात्पर्यित कोई हस्तांतरण विलेख, मुख्तारनामा या कोई अन्य दस्तावेज़ राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक यह जाँचने की चिंता नहीं करेगा कि स्टॉक प्रमाणपत्र धारक किसी न्यास या दस्तावेज़ या नियमों के निबंधनों के अनुसार ऐसा मुख्तारनामा देने या ऐसा विलेख या अन्य प्रलेख निष्पादित करने की शक्ति रखता है या नहीं और राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक उस हस्तांतरण विलेख, मुख्तारनामे या अन्य दस्तावेज़ पर इस प्रकार कार्रवाई कर सकता है मानो निष्पादक स्टॉक प्रमाणपत्र धारक हो चाहे स्टॉक प्रमाणपत्र धारक को हस्तांतरण विलेख, मुख्तारनामे या अन्य दस्तावेज़ में न्यासी या पदधारक के रूप में वर्णित किया गया हो या नहीं और चाहे वह न्यासी या पदधारक की हैसियत से हस्तांतरण विलेख, मुख्तारनामे या अन्य दस्तावेज़ को निष्पादित करने के लिए तात्पर्यित हो या नहीं.

6) इस विनियमावली में निहित यथा किसी न्यास या दस्तावेजों या नियमों के अंतर्गत किसी न्यासी या पदधारकों, अथवा किन्हीं न्यासियों या पदधारकों और लाभार्थियों के बीच किसी भी बात का यह आशय नहीं होगा कि न्यासियों या पदधारकों को न्यास पर लागू क़ानूनों के नियमों, न्यास के घटकों के निबंधनों, या जिस संगठन का स्टॉक प्रमाणपत्र धारक पदधारक है उसे संचालित करने वाले नियमों से अन्यथा कृत्य करने के किए प्राधिकृत किया जाता है, और न ही राष्ट्रीय बैंक या न रिज़र्व बैंक या न कोई व्यक्ति जो किसी स्टॉक प्रमाणपत्र में कोई हित धारण या अधिगृहीत करता है वह राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक की किसी पंजी में किसी स्टॉक प्रमाणपत्र या किसी स्टॉक प्रमाणपत्र धारक से संबंधित या स्टॉक प्रमाणपत्र से संबंधित किसी अन्य दस्तावेज़ में किसी प्रविष्टि के परिणामस्वरूप किसी न्यास या किसी स्टॉक प्रमाणपत्र धारक की न्यासी प्रकृति अथवा किसी स्टॉक प्रमाणपत्र के धारण से संबंधित किसी बाध्यता की संसूचना से प्रभावित होगा.

7) किसी पदधारक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा इस विनियमावली के अनुसरण में दिए गए किसी आवेदन अथवा निष्पादन के लिए तात्पर्यित किसी दस्तावेज़ के प्राप्त होने पर कार्य करने से पहले राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक इस आशय के साक्ष्य की प्रस्तुति की अपेक्षा कर सकता है कि वह व्यक्ति तत्समय उस पद का धारक है.

**5अ. न्यास/ न्यासी (न्यासियों) द्वारा प्रॉमिसरी नोट के रूप में निर्गत बॉण्ड के धारण के संबंध में उपबंध:**

1) विनियम 4 के उप-विनियम (i) के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक आवेदक के अनुरोध पर और राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक के लिए किसी बाध्यतामूलक दायित्व के बिना प्रॉमिसरी नोट के रूप में निर्दिष्ट न्यास के नाम में या उस न्यास के न्यासी या न्यासियों के नाम में या यथास्थिति आवेदक के व्यक्तिगत नाम में, उसे न्यासी के रूप में वर्णित करते हुए बॉण्ड का निर्गम कर सकते हैं चाहे वह उसके आवेदन में निर्दिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में हो या ऐसी निर्दिष्टि के बिना न्यासी के रूप में.

2) चाहे प्रॉमिसरी नोट के रूप में कोई बॉण्ड धारक के व्यक्तिगत नाम में हो राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक उसके द्वारा राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित फॉर्म में आवेदन किए जाने पर ऐसे बॉण्ड के वापस सौपे जाने पर इस विनियमावली के उप-विनियम (1) में यथा निर्धारित रीति से प्रॉमिसरी नोट के रूप में नवीकृत बॉण्ड का निर्गम कर सकता है बशर्ते

   (i) इस विनियमावली के उप-विनियम (6) के अनुसार राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो; और

   (ii) बॉण्ड को राष्ट्रीय बैंक के पक्ष में पृष्ठांकित किया गया हो.

3) इस विनियमावली के उप-विनियम (1) के अंतर्गत निर्गत बॉण्ड को किसी न्यास के न्यासी द्वारा अकेले अथवा उस न्यास के न्यासी के रूप में अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित किया जा सकता है.

4) जब प्रॉमिसरी नोट के रूप में निर्गत बॉण्ड, बॉण्ड धारक द्वारा न्यासी के रूप में तात्पर्यित हो, अथवा जब बॉण्ड धारक द्वारा मुख्तारनामा या निष्पादन के लिए तात्पर्यित कोई अन्य दस्तावेज़ राष्ट्रीय बैंक या रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाए तो राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक इस बात की जाँच करने की चिंता नहीं करेगा कि वह बॉण्ड धारक किसी न्यास या दस्तावेज़ या नियमों के अंतर्गत ऐसा पृष्ठांकन करने के लिए अथवा ऐसा मुख्तारनामा या दस्तावेज़ निष्पादित करने के लिए अधिकृत है या नहीं और उस पृष्ठांकन, मुख्तारनामे या दस्तावेज़ पर इस तरह कार्य कर सकता है मानो ऐसा पृष्ठांकनकर्ता बॉण्ड धारक हो और चाहे बॉण्ड धारक पृष्ठांकन, मुख्तारनामे या दस्तावेज़ में न्यासी के रूप में वर्णित हो या नहीं हो और चाहे वह न्यासी की हैसियत से पृष्ठांकन करने या मुख्तारनामा या दस्तावेज़ निष्पादित करने के लिए तात्पर्यित हो या नहीं हो.

5) इस विनियमावली में निहित किसी बात का, किसी न्यास अथवा किसी दस्तावेज़ अथवा नियमों के अंतर्गत, यथा किन्हीं न्यासियों और लाभार्थियों के बीच, यह अर्थ नहीं समझा जाएगा कि वह न्यासियों को न्यास पर लागू कानून

के नियमों या न्यास के घटक रूप किसी लिखत के निबंधनों के अनुसार कार्य करने के अतिरिक्त किसी अन्य तरह से कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है.

6) इस विनियमावली के अनुसार में किसी न्यास के न्यासी के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन करने पर कोई कार्रवाई करने के पूर्व राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक इस आशय के साक्ष्य की प्रस्तुति की अपेक्षा कर सकता है कि वह व्यक्ति तत्समय उस न्यास का न्यासी है.

**6. धारक बनने के लिए अयोग्य व्यक्ति:**

कोई अवयस्क या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा अस्थिर मस्तिष्क का पाया गया हो, बॉण्ड का धारक बनने के लिए अधिकृत नहीं होगा.

**7. ब्याज का भुगतान**

1) प्रॉमिसरी नोट के रूप में निर्गत बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान बॉण्ड का निर्गम करने वाले कार्यालय अथवा बॉण्ड की परिचय-पुस्तिका में निर्दिष्ट राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक के किसी अन्य कार्यालय द्वारा, बॉण्ड के धारक द्वारा राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं का अनुपालन करने और बॉण्ड को प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन किया जाएगा.

2) स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गत बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गत वारंटों के माध्यम से किया जाएगा और वह राष्ट्रीय बैंक या रिज़र्व बैंक के स्थानीय कार्यालय पर देय होगा. ब्याज के भुगतान के समय स्टॉक प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा लेकिन आदाता वारंट के पृष्ठभाग पर पावती देगा.

**8. प्रॉमिसरी नोट के रूप में निर्गत बॉण्ड के खो जाने आदि के लिए कार्यविधि:**

1) कथित रूप से गुमशुदा, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, विकृत और पूर्णतः या अंशतः विरूपित बॉण्ड के स्थान पर दूसरे बॉण्ड का निर्गम करने का प्रत्येक आवेदन निर्गम के कार्यालय को संबोधित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, नामत:

(क) निम्नलिखित रूप में बॉण्ड का विवरण

.....प्रतिशत बॉण्ड ..... के रु. ..... के .....(संख्या) बॉण्ड.

(ख) गत अर्ध वर्ष जिसके लिए ब्याज का भुगतान किया जा चुका है.

(ग) वह व्यक्ति जिसे उक्त ब्याज का भुगतान किया गया.

(घ) वह व्यक्ति जिसके नाम में बॉण्ड का निर्गम किया गया (यदि ज्ञात हो).

(ङ) गुम हो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत हो जाने या विरूपित हो जाने की परिस्थितियाँ.

(च) क्या गुम होने या चोरी होने की रपट पुलिस में लिखाई गई.

2) ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रलेख होंगे :

(क) यदि रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने के क्रम में बॉण्ड गुम हुआ तो जिस पत्र में बॉण्ड रखा गया उसकी पोस्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन रसीद.

(ख) यदि गुम होने या चोरी होने की रपट पुलिस में लिखाई गई तो पुलिस रपट की प्रति.

(ग) यदि आवेदक पंजीकृत धारक नहीं है तो मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया शपथ-पत्र जिसमें शपथपूर्वक कहा गया हो कि आवेदक बॉण्ड का अंतिम कानूनी धारक था और बॉण्ड के स्वत्वाधिकार को पीछे जाते हुए पंजीकृत धारक तक पहुँचने से संबंधित सभी दस्तावेजी साक्ष्य.

(घ) गुम हुए, चोरी हुए, नष्ट हुए, विकृत हुए या विरूपित हुए बॉण्ड का बचा हुआ हिस्सा या टुकड़ा.

**9. राजपत्र में अधिसूचना:**

**गुमशुदा (या यथास्थिति चोरी हुए, नष्ट हुए, विकृत हुए या विरूपित हुए) बॉण्ड**

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक .....प्रतिशत बॉण्ड सं. ..... मूल्य रु. ..... जो मूल रूप से .....के नाम में है और जिसे अंतिम बार स्वत्वाधिकारी को पृष्ठांकित किया गया है और जिसके द्वारा उक्त बॉण्ड को किसी अन्य व्यक्ति को पृष्ठांकित नहीं किया गया, के गुम हो जाने (चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत हो जाने, विरूपित हो जाने) के कारण इसके द्वारा यह संसूचित किया जाता है कि उक्त बॉण्ड और उस पर ब्याज का भुगतान निर्गम के कार्यालय में रोक दिया गया है और स्वत्वाधिकारी के पक्ष में डुप्लीकेट बॉण्ड का निर्गम करने के लिए आवेदन किया जाने वाला है या किया जा चुका है. आम जनता को ऊपर उल्लिखित बॉण्ड को खरीदने या अन्यथा उसका लेन-देन करने के विरुद्ध सावधान किया जाता है.

अधिसूचित करने वाले व्यक्ति का नाम :

आवास :

**10. डुप्लीकेट बॉण्ड का निर्गम और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था:**

(1) विनियम 9 में यथानिर्धारित अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन के बाद विहित अधिकारी, यदि वह बॉण्ड के गुम हो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत हो जाने, विरूपित हो जाने की स्थिति के प्रति संतुष्ट है और आवेदक के दावे के न्यायोचित होने के प्रति आश्वस्त है तो बॉण्ड के विवरणों को विनियम (12) के अंतर्गत प्रकाशित सूची में शामिल करवाएगा, और निर्गम के कार्यालय को निम्नानुसार आदेश देगा :

(क) यदि बॉण्ड का केवल एक भाग गुम, चोरी, नष्ट, विकृत या विरूपित हुआ है और उसका एक भाग जो पहचान के लिए पर्याप्त है, प्रस्तुत किया गया है तो ब्याज के भुगतान का आदेश और इसमें आगे उल्लिखित क्षतिपूर्ति करार के निष्पादन के बाद आवेदक को उस बॉण्ड के स्थान पर जिसका एक भाग इस प्रकार गुम, चोरी, नष्ट, विकृत या विरूपित हुआ है, डुप्लीकेट बॉण्ड तत्काल जारी करने या विनियम (12) के अंतर्गत सूची के प्रकाशित होने के बाद जारी करने या उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से उतनी अवधि की समाप्ति के बाद जिसे विहित अधिकारीउचित समझे, जारी करने का आदेश;

(ख) यदि इस प्रकार गुम, चोरी, नष्ट, विकृत या विरूपित हुए बॉण्ड का कोई भी हिस्सा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो बॉण्ड की पहचान के लिए पर्याप्त हो तो :

(I) उक्त सूची के प्रकाशित होने के 2 वर्ष बाद और इसमें आगे उल्लिखित यथानिर्धारित रीति से क्षतिपूर्ति करार के निष्पादन के बाद आवेदक को इस प्रकार गुम, चोरी, नष्ट, विकृत या विरूपित हुए बॉण्ड पर इसमें आगे किए गए उपबंध के अनुसार 4 वर्ष की अवधि की समाप्ति तक ब्याज का भुगतान करने का आदेश; और

(II) आवेदक को उक्त सूची के प्रकाशित होने की तारीख से चार वर्ष बाद इस प्रकार गुम, चोरी, नष्ट, विकृत या विरूपित हुए बॉण्ड के स्थान पर डुप्लीकेट बॉण्ड जारी करने का आदेश; बशर्ते

(i) यदि जिस तारीख को बॉण्ड चुकौती के लिए देय होता है वह तारीख उक्त चार वर्ष की अवधि के पूरे होने के पहले आती हो तो विहित अधिकारीपहले आनेवाली तारीख के छह सप्ताह के भीतर बॉण्ड पर देय मूलधन की राशि को पोस्ट ऑफिस बचत बैंक में निवेश करेगा, या यदि आवेदक ऐसा चाहता है तो राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत ऐसे चालू बॉण्ड में निवेश करेगा जिसकी परिपक्वता की तारीख डुप्लीकेट बॉण्ड के निर्गम की देय तारीख से पहले नहीं आती हो और वह इस राशि की चुकौती ऐसे बैंक या ऐसे बॉण्ड में उपचित ब्याज की राशि के साथ जिसमें निवेश किया गया हो आवेदक को उस समय करेगा जब अन्यथा डुप्लीकेट बॉण्ड जारी किया जाता, और

(ii) यदि डुप्लीकेट बॉण्ड के निर्गम के पहले किसी समय मूल बॉण्ड का पता लगा लिया जाता है या अन्य कारणों से निर्गम के कार्यालय को यह प्रतीत होता है कि आदेश को विखंडित किया जाना चाहिए तो इस मामले को विहित अधिकारीको और आगे विचार के लिए संदर्भित किया जाएगा और इस बीच आदेश पर हर प्रकार की कार्रवाई लंबित रहेगी. इस उप-विनियम के अंतर्गत पारित आदेश उसमें संदर्भित चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अंतिम आदेश बन जाएगा यदि बीच में उसे विखंडित अथवा अन्यथा आशोधित नहीं कर दिया जाता.

(2) विहित अधिकारीको यदि इस बात के लिए पर्याप्त कारण मिलते हैं तो वह डुप्लीकेट बॉण्ड के निर्गम के किसी भी समय इस विनियमावली के अंतर्गत अपने द्वारा जारी किसी आदेश को परिवर्तित और निरस्त कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि डुप्लीकेट बॉण्ड के निर्गम के पहले के अंतराल को चार वर्ष से अनधिक उतनी अवधि के लिए बढ़ाया जाए जितनी वह उचित समझे.

(3) क्षतिपूर्तियाँ :

(क) यदि वे विनियम (1)(ख)(I) के अंतर्गत निष्पादित की जाती हैं तो वे संबंधित ब्याज की राशि की दुगनी राशि के लिए होंगी अर्थात् बॉण्ड पर उपचित देय पिछले ब्याज की राशि की दोगुनी राशि और डुप्लीकेट बॉण्ड के निर्गम के पूर्व बीतने वाली अवधि के दौरान उपचित और देय ब्याज की राशि की दोगुनी राशि के योग के बराबर की राशि के लिए होंगी, और

(ख) (i) अन्य सभी मामलों में वे बॉण्ड के अंकित मूल्य की दोगुनी राशि और खंड 'क' के अनुसार परिगणित ब्याज की राशि की दोगुनी राशि के योग के बराबर की राशि के लिए होंगी.

(ii) विहित अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि इस प्रकार का क्षतिपूर्ति करार केवल आवेदक द्वारा अथवा आवेदक और उसके द्वारा अनुमोदित एक या दो जामिनों के साथ मिलकर, जैसा वह उचित समझे निष्पादित किया जाए.

**11. स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गत बॉण्ड के गुम हो जाने आदि के लिए कार्यविधि:**

(1) कथित रूप से गुमशुदा, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, विकृत और पूर्णतः या अंशतः विरूपित स्टॉक प्रमाणपत्र के स्थान पर दूसरे स्टॉक प्रमाणपत्र का निर्गम करने का प्रत्येक आवेदन निर्गम के कार्यालय को संबोधित किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित प्रलेख होंगे:

(क) यदि रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने के क्रम में स्टॉक प्रमाणपत्र गुम हुआ हो तो जिस पत्र में स्टॉक प्रमाणपत्र रखा गया उसकी पोस्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन रसीद.

(ख) यदि गुम होने या चोरी होने की रपट पुलिस में लिखाई गई तो पुलिस रपट की प्रति.

(ग) मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया शपथ-पत्र जिसमें शपथपूर्वक कहा गया हो कि आवेदक स्टॉक प्रमाणपत्र का कानूनी धारक है और स्टॉक प्रमाणपत्र न उसके कब्जे में है और न उसे हस्तांतरित किया गया है, न गिरवी रखा गया है और न अन्यथा उसके द्वारा उसके साथ कोई संव्यवहार किया गया है.

(घ) गुम हुए, चोरी हुए, नष्ट हुए, विकृत हुए या विरूपित हुए स्टॉक प्रमाणपत्र का बचा हुआ हिस्सा या टुकड़ा.

(2) गुम हो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत हो जाने या विरूपित हो जाने की परिस्थितियाँ.

(3) यदि विहित अधिकारीस्टॉक प्रमाणपत्र के गुम हो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत हो जाने, विरूपित हो जाने को संतुष्ट है तो वह मूल प्रमाणपत्र के स्थान पर डुप्लीकेट स्टॉक प्रमाणपत्र के निर्गम का निर्देश देगा.

**12. सूची का प्रकाशन:**

(1) विनियम 10 में संदर्भित सूची भारत के राजपत्र में प्रत्येक छमाही में जनवरी और जुलाई में अथवा उसके तत्काल बाद जब भी सुविधा हो, प्रकाशित की जाएगी.

(2) वे सभी बॉण्ड जिनके संबंध में विनियम 10 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है, ऐसे आदेश के पारित होने के बाद प्रकाशित की जाने वाली पहली सूची में शामिल किए जाएंगे और उसके बाद ऐसे बॉण्ड तब तक आगे प्रकाशित की जाने वाली सभी सूचियों में शामिल किए जाते रहेंगे जब तक पहले प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती.

(3) इस सूची में शामिल प्रत्येक बॉण्ड के संबंध में सूची में अग्रलिखित विवरण शामिल किए जाएंगे, नामत:, निर्गत का नाम, बॉण्ड की संख्या, उसका मूल्य, उस व्यक्ति का नाम जिसे बॉण्ड का निर्गम किया गया, वह तारीख जब से ब्याज देय होना शुरू होता है, डुप्लीकेट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, विहित अधिकारीद्वारा ब्याज के भुगतान या डुप्लीकेट के निर्गम के लिए आदेश की संख्या और उसे पारित करने की तारीख, तथा उस सूची के प्रकाशन की तारीख जिसमें बॉण्ड को पहली बार शामिल किया गया.

**13. विकृत बॉण्ड के स्थान पर डुप्लीकेट बॉण्ड के निर्गम के अपेक्षित होने का निर्धारण:**

विहित अधिकारी के पास यह विकल्प होगा कि वह बॉण्ड के रूप में किसी विकृत या विरूपित हुए बॉण्ड को ऐसा बॉण्ड माने जिसके लिए विनियम 10 के अंतर्गत डुप्लीकेट बॉण्ड जारी करना अपेक्षित है या केवल विनियम 16 के अंतर्गत उसका नवीकरण अपेक्षित है.

**14. जब प्रॉमिसरी नोट के रूप में निर्गत बॉण्ड का नवीकरण अपेक्षित हो:**

(1) प्रॉमिसरी नोट के रूप में निर्गत बॉण्ड के धारक से निर्गत के कार्यालय द्वारा यह अपेक्षा की जाएगी कि वह निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति में उसे प्राप्त करें, नामत:

(क) यदि केवल बॉण्ड के पृष्ठ भाग पर एक और पृष्ठांकन के लिए जगह बची हो या यदि पृष्ठांकनों के विद्यमान पृष्ठांकन पर कोई शब्द लिखा हो;

(ख) यदि बॉण्ड फट गया हो या किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया हो या लिखने के कारण पूरी तरह से भर गया हो या निर्गम के कार्यालय के मतानुसार खराब हो गया हो;

(ग) यदि कोई पृष्ठांकन स्पष्ट और अलग न हो या आदाताओं के आदाता को, यथास्थिति नाम से अथवा बॉण्ड के पृष्ठ भाग पर किसी एक पृष्ठांकन से अन्यथा निर्दिष्ट किया गया हो;

(घ) यदि बॉण्ड पर ब्याज का आहरण 10 वर्ष या उससे अधिक से न किया गया हो;

(ङ) यदि बॉण्ड के पृष्ठ भाग पर ब्याज के खाने पूरी तरह से भर गए हों या यदि ब्याज के आहरण के लिए ब्याज को प्रस्तुत करने की तारीख पर बॉण्ड के पृष्ठ भाग पर खाली मुद्रित खाने, जिस अर्ध वर्ष के लिए ब्याज भुगतान योग्य हो गया है, उस अर्ध वर्ष के अनुरूप न हों;

(च) यदि पुन: प्रवर्तित करने के लिए ब्याज के भुगतान हेतु तीन बार मुखांकित बॉण्ड प्रस्तुत किया गया हो; और

(छ) यदि निर्गम के कार्यालय के मतानुसार ब्याज के भुगतान के लिए बॉण्ड को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का स्वत्वाधिकार अनियमित हो अथवा पूरी तरह से प्रमाणित न हो.

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत बॉण्ड के नवीकरण का अनुरोध किए जाने पर नवीकरण के लिए बॉण्ड के प्राप्त होने और वस्तुत: नवीकृत कर दिए जाने तक उस पर आगे ब्याज का भुगतान अस्वीकृत किया जाएगा.

**15. बॉण्ड के मृत एकमात्र धारक के बॉण्ड पर जिसके अधिकार को मान्य किया जा सकता है ऐसा व्यक्ति**

(1) किसी बॉण्ड के मृत एकमात्र धारक (चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो या अन्य कोई हो) के निष्पादकों और प्रशासकों तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग X के अंतर्गत निर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति होंगे जिनको निर्गम के कार्यालय द्वारा बॉण्ड पर कोई अधिकार रखने वाले के रूप में मान्य किया जा सकता है (विहित अधिकारीके किसी सामान्य अथवा विशेष अनुदेश के अधीन).

(2) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी दो या अधिक धारकों को निर्गत, विक्रीत, या भुगतान योग्य अवधारित बॉण्ड के मामले में उत्तरजीवी एकल व्यक्ति या अधिक व्यक्ति और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु हो जाने पर उसके निष्पादक और प्रशासक अथवा संबंधित बॉण्ड के निमित्त उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक कोई व्यक्ति वह एकमात्र व्यक्ति होगा जिसे निर्गम के कार्यालय द्वारा बॉण्ड पर कोई अधिकार रखने वाले के रूप में मान्य किया जा सकता है (विहित अधिकारी के किसी सामान्य अथवा विशेष अनुदेश के अधीन).

(3) निर्गम कार्यालय ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्य करने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक वे यथास्थिति, निर्गम के कार्यालय की अवस्थिति पर प्रभाव रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय अथवा कार्यालय से प्रोबेट अथवा प्रशासन संबंधी पत्र अथवा अन्य कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर लेते, बशर्ते किसी भी स्थिति में जब विहित अधिकारीअपने पूर्ण विवेकाधिकार से यह उचित समझे कि प्रोबेट अथवा प्रशासन संबंधी पत्र अथवा अन्य कानूनी प्रतिनिधित्व, क्षतिपूर्ति या अन्यथा किसी अन्य उचित निबंधन के कारण प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है तो ऐसा करना उसके लिए विधिमान्य होगा.

**16. नवीकरण के लिए प्राप्ति, आदि:**

(1) विहित अधिकारी के किसी सामान्य अथवा विशेष अनुदेश के अधीन निर्गम का कार्यालय धारक के आवेदन करने पर अपने आदेश के माध्यम से –

(क) आवेदक के द्वारा प्रॉमिसरी नोट या नोटों के रूप में बॉण्ड या बॉण्डों को सुपुर्द किए जाने और उसके द्वारा अपने दावे के औचित्य के संबंध में निर्गम के कार्यालय को संतुष्ट किए जाने के बाद नोट या नोटों को नवीकृत, उप-विभाजित या समेकित कर सकता है बशर्ते नोट यथास्थिति फॉर्म I, II या III में प्राप्त किया गया हो या किए गए हों, या

(ख) नोट या नोटों को स्टॉक प्रमाणपत्र या स्टॉक प्रमाणपत्रों के रूप में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते नोट या नोटों को निम्नानुसार पृष्ठांकित किया गया हो:

"राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को भुगतान करें", या

(ग) स्टॉक प्रमाणपत्र या स्टॉक प्रमाणपत्रों को नवीकृत, उप-विभाजित या समेकित कर सकता है बशर्ते स्टॉक प्रमाणपत्र या स्टॉक प्रमाणपत्रों को यथास्थिति फॉर्म VI, VII या VIII में प्राप्त किया गया हो, या

(घ) स्टॉक प्रमाणपत्र या स्टॉक प्रमाणपत्रों को प्रॉमिसरी नोट या नोटों के रूप में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते स्टॉक प्रमाणपत्र या स्टॉक प्रमाणपत्रों को फॉर्म IX में प्राप्त किया गया हो, या

(ङ) एक शृंखला के बॉण्डों को दूसरी शृंखला के बॉण्डों में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते –

(i) एक शृंखला से दूसरी शृंखला में परिवर्तन की अनुमति हो, और

(ii) ऐसे परिवर्तन को संचालित करने वाली शर्तों का पालन किया गया हो.

(2) विहित अधिकारी के आदेशों के अंतर्गत उप-विनियम (1) के अंतर्गत बॉण्ड के नवीकरण, उप-विभाजन या समेकन के लिए आवेदन करने वाले से निर्गम का कार्यालय उसके द्वारा अनुमोदित एक या एक से अधिक जामिनों के साथ फॉर्म IV में क्षतिपूर्ति करार निष्पादित करा सकता है.

**17. स्वत्वाधिकार में विवाद के मामले में बॉण्ड का नवीकरण:**

यदि उस बॉण्ड के स्वत्वाधिकार के संबंध में स्वत्वाधिकार को लेकर कोई विवाद है जिसके नवीकरण के लिए आवेदन दिया गया है तो विहित अधिकारी

(क) जब विवाद के किसी पक्षकार ने सक्षम न्याय क्षेत्राधिकार से यह अंतिम निर्णय प्राप्त कर लिया हो कि वह उस बॉण्ड का स्वाधिकारी हो तो उस पक्षकार के पक्ष मैं नवीकृत बॉण्ड का निर्गम कर सकता है, या

(ख) जब तक ऐसा निर्णय प्राप्त नहीं कर लिया जाता, बॉण्ड के नवीकरण से इन्कार कर सकता है.

स्पष्टीकरण : इस उप-विनियम के प्रयोजन से 'अंतिम निर्णय' से वह निर्णय अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सके या ऐसा निर्णय अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती हो लेकिन कानून द्वारा विहित अवधि सीमा के भीतर कोई अपील दायर नहीं की गई है.

**18. नवीकृत बॉण्ड के संबंध में दायित्व, आदि:**

जब विनियम (10) के अंतर्गत किसी डुप्लीकेट बॉण्ड या विनियम (16) के अंतर्गत उप-विभाजन अथवा समेकन के बाद किसी नवीकृत बॉण्ड अथवा नए बॉण्ड का निर्गम किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया है तो इस प्रकार निर्गत बॉण्ड राष्ट्रीय बैंक और उस व्यक्ति तथा उस व्यक्ति के माध्यम से उसके बाद स्वत्वाधिकार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच नई संविदा के रूप में मान्य किया जाएगा.

**19. भार से मुक्ति :**

जिस बॉण्ड का परिपक्वता पर भुगतान कर दिया गया हो या जिसके स्थान पर डुप्लीकेट, नवीकृत, उपविभाजित अथवा समेकित बॉण्ड निर्गत कर दिया गया हो या कर दिए गए हों उनके संबंध में राष्ट्रीय बैंक सभी दायित्वों से निम्नानुसार भार मुक्त हो जाएगा

(क) भुगतान के मामले में जिस तारीख को भुगतान विहित हो उस तारीख से चार वर्ष के बीत जाने पर;

(ख) डुप्लीकेट बॉण्ड के मामले में विनियम 12 एक अंतर्गत उस सूची के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष के बीत जाने पर जिसमें उस बॉण्ड का पहली बार उल्लेख किया गया, या मूल बॉण्ड पर ब्याज के भुगतान की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो;

(ग) नवीकृत बॉण्ड या उप-विभाजन अथवा समेकन के बाद निर्गत नए बॉण्ड के मामले में बॉण्ड के निर्गम की तारीख से चार वर्ष के बीत जाने पर.

**20. ब्याज के संबंध में भार से मुक्ति:**

बॉण्ड के निबंधनों में व्यक्त रूप से किए गए अन्यथा उपबंध को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे बॉण्ड पर किसी ऐसी अवधि के लिए ब्याज का दावा करने के लिए अधिकृत नहीं होगा जो ऐसे बॉण्ड पर देय राशि के भुगतान करने के लिए जिस सबसे पहली तारीख को दावा किया जा सकता था उसके बाद बीत गई हो.

**21. बॉण्ड को भारमुक्त करना:**

जब कोई बॉण्ड मूलधन के भुगतान के लिए देय हो जाता है तो उसे धारक द्वारा बॉण्ड के पृष्ठभाग पर विधिवत् हस्ताक्षरित कर राष्ट्रीय बैंक अथवा रिजर्व बैंक के उस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा जहाँ ब्याज का भुगतान देय हो या निर्गम के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा.

**22. राष्ट्रीय बैंक की ओर से शक्तियों के प्रयोग:**

राष्ट्रीय बैक द्वारा विनियम 4 (ii), 5(2), और 7(1) के अंतर्गत प्रयोग की जानेवाली शक्तियों के प्रयोग राष्ट्रीय बैंक की ओर से राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष द्वारा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाएगा.

**अनुसूची**

**फॉर्म I**

**[विनियम 16 (1) देखें]**

**प्रॉमिसरी नोट के रूप में निर्गत बॉण्ड के नवीकरण के लिए पृष्ठांकन का फॉर्म**

इसके बदले (धारक का नाम) को ब्याज सहित भुगतान योग्य नवीकृत नोट प्राप्त किया जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ..... द्वारा भुगतान योग्य है.

धारक/ (धारक का नाम.....) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

**फॉर्म II**

**[विनियम 16 (1) देखें]**

इसके बदले (धारक का नाम) को ब्याज सहित भुगतान योग्य क्रमशः रु. .....के .....नोट प्राप्त किए जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ..... द्वारा भुगतान योग्य हैं.

धारक/ (धारक का नाम.....) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

जब इसकी अनुसूचियों में उल्लिखित राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत बॉण्ड (बॉण्डों ) अथवा उनमें निहित हितों के स्वत्वाधिकार का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों अथवा उक्त निर्गत बॉण्ड (बॉण्डों ) के संबंध में अथवा उनके नवीकरण के संबंध में अथवा उनपर ब्याज के भुगतान के संबंध में अन्य किसी भी व्यक्ति के दावों और मांगों से और उनके विरुद्ध और उन सभी क्षतियों, हानियों, लागतों, प्रभारों और व्ययों जो उक्त राष्ट्रीय बैंक उठाएगा, करेगा या जिसके लिए वह दायी होगा या इस तरह दे दावे या मांग के परिणामस्वरूप अथवा उक्त रीति से नवीकृत बॉण्ड (बॉण्डों ) के निर्गम या उक्त बॉण्ड (बॉण्डों ) अथवा नवीकृत बॉण्ड (बॉण्डों ) पर देय ब्याज के भुगतान कारण उत्पन्न होंगे, तब ऊपर उल्लिखित बॉण्ड निष्प्रभावी हो जाएंगे अन्यथा वे पूर्ण रूप से प्रवर्तन और प्रभाव रखेंगे. …… और .....की उपस्थिति में हस्ताक्षरित और सुपुर्द.

दिनांक .....

इसके अंतर्गत संदर्भित अनुसूची

| बॉण्ड की राशि की प्रकृति और विवरण | संख्या | निर्गम की तारीख |
|---|---|---|

**फॉर्म V**

**हस्तांतरण का फॉर्म**

**[विनियम 3(3) देखें]**

मैं/ हम ..... इसके द्वारा .....प्रतिशत उत्कीर्णित स्टॉक .....राशि के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बॉण्ड में मेरा/ हमारा हित या हिस्सा जो लिखत के मुखपृष्ठ पर यथानिर्दिष्ट के स्टॉक या उसके हिस्से की राशि है, उसपर उपचित ब्याज सहित ..... / उसके/ उनके निष्पादकों, प्रशासकों या समनुदेशितीयों को समनुदेशित और हस्तांतरित करता हूँ/ करते हैं, और मैं/ हम इसके द्वारा उस सीमा तक उक्त हस्तांतरित स्टॉक को मुक्त रूप से स्वीकार करता हूँ/ करते हैं जिस सीमा तक यह मुझे/ हमें हस्तांतरित किया गया है.

मैं/ हम @ .....अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि इसके द्वारा मुझे/ हमें @ हस्तांतरित स्टॉक के धारक/ धारकों @ के रूप में पंजीकृत किए जाने के बाद पूर्वोक्त स्टॉक प्रमाणपत्र/ प्रमाणपत्रों @ उस सीमा तक मेरे/ हमारे @ नाम/ नामों में नवीकृत/ परिवर्तित कर दिया जाए जिस सीमा तक उसे/ उन्हें मुझे/ हमें @ हस्तांतरित किया गया है.

**मैं / हम @..... अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि उक्त हस्तांतरिती/ हस्तांतरितियों @ के उसको/ उनको @ हस्तांतरित स्टॉक के धारक/ धारकों @ के रूप में पंजीकृत किए जाने के बाद पूर्वोक्त स्टॉक प्रमाणपत्र को उस सीमा तक मेरे/ हमारे @ नाम/ नामों में नवीकृत किया जाए जिस सीमा तक स्टॉक को उसको/ उनको @ हस्तांतरित नहीं किया गया है.

इसके साक्ष्य में हम उक्त नामित हस्तांतरणकर्ता द्वारा वर्ष .....के माह .....के .....दिन *.....की उपस्थिति में हस्ताक्षरित.

(हस्तांतरणकर्ता).....

पता .....

(हस्तांतरिती) .....

पता .....

उक्त नामित हस्तांतरिती के हस्ताक्षर *.....की उपस्थिति में किए गए

**फॉर्म VI**

**[विनियम 16 (ग) देखें]**

**स्टॉक प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए पृष्ठांकन का फॉर्म**

इसके बदले में .....के नाम में रु..... के .....प्रतिशत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बॉण्ड .....का एक नवीकृत स्टॉक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जो ब्याज सहित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ..... द्वारा भुगतान योग्य है.

पंजीकृत धारक (नाम……..)/ उसके विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

**फॉर्म VII**

**[विनियम 16 (ग) देखें]**

**स्टॉक प्रमाणपत्र के उप-विभाजन के लिए पृष्ठांकन का फॉर्म**

इसके बदले में क्रमशः रु..... के .....प्रतिशत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बॉण्ड .....के प्रमाणपत्र प्राप्त किए जो ब्याज सहित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ..... द्वारा भुगतान योग्य है.

पंजीकृत धारक (नाम……..)/ उसके विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

**फॉर्म VIII**

**[विनियम 16 (ग) देखें]**

**स्टॉक प्रमाणपत्रों के समेकन के लिए पृष्ठांकन का फॉर्म**

रु..... के.....प्रतिशत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बॉण्ड ..... के स्टॉक प्रमाणपत्रों के बदले में रु..... का..... प्रतिशत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बॉण्ड ..... एक स्टॉक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जो ब्याज सहित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ..... द्वारा भुगतान योग्य है.

पंजीकृत धारक (नाम……..)/ उसके विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

**फॉर्म IX**

**[विनियम 16 (घ) देखें]**

**स्टॉक प्रमाणपत्रों के प्रॉमिसरी नोटों में परिवर्तन के लिए पृष्ठांकन का फॉर्म**

इस प्रमाणपत्र ..... के बदले में रु.....प्रत्येक के प्रॉमिसरी नोट (और साथ ही रु..... की शेष राशि के लिए एक नया स्टॉक प्रमाणपत्र) प्राप्त किए जो ब्याज सहित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ..... द्वारा भुगतान योग्य है.

पंजीकृत धारक (नाम……..)/ उसके विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

**फॉर्म X**

**[विनियम 5 (2) देखें]**

**स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गत बॉण्ड के नवीकरण के लिए रसीद का फॉर्म**

इसके बदले में ..... के पक्ष में रु..... के.....प्रतिशत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बॉण्ड ..... के नवीकृत स्टॉक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जो ब्याज सहित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ..... द्वारा भुगतान योग्य है.

पंजीकृत धारक के हस्ताक्षर